

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(18)एम.ई./ग्रुप-1/85

जयपुर, दिनांक : 31/5/17

आदेश

डॉ. शरद जैन, आचार्य, जनरल सर्जरी, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 30-4-2018 को मध्याह्न पश्चात से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. शरद जैन, आचार्य, जनरल सर्जरी, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही (एफ.आई.आर. 190/13) विचाराधीन/लम्बित है।

आदेश से,



(भगवत सिंह)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर।
5. डॉ. शरद जैन, आचार्य, जनरल सर्जरी, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

सहायक शासन सचिव